तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/07/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया की ओर से मुंशी महेश उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में वकालत पैरवी करने हेतु 15 दिवस का समय चाहे जाने का निवेदन किया गया। प्रति वकील अनावेदक को दी गई। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। आनावेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण काफी समय से बहस में नियत है। गत पेशी पर वकील आवेदक के निवेदन पर दिनांक 19.07.2022 को अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा तय की गई थी, परन्तु वकील आवेदक मुंशी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह महज प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से किया गया है, इसलिये आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण में बहस सुनी जाकर अंतिम निर्णय करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली मय आदेशिका का अवलोकन किया गया। गत तारीख पेशी पर वकील आवेदक के निवेदन पर ही प्रकरण आज की तिथि में वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नियत किया गया था। प्रकरण काफी समय से बहस में नियत था। अतः इस न्यायालय के मत में यह प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के उदेश्य से पेश किया गया है। अतः आवेदक का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी दिनेश कुमार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3ए, 4 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया किह प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करते हुए उक्त आदेश को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी द्रोपती देवी द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जबाव पेश करके निवेदन किया कि प्रकरण में आ0 39 नियम 3ए , 4सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अनावेदक 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र का विधिवत जबाव देकर अंतिम रूप से बहस करने चाहिए। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दोनो अधिवक्ता गत तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख 19.07.2022 पर प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस हेतु तैयार हो चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3ए, 4 जा0दी0 खारिज किया जाता है। प्रकरण में वकील अनावेदकगण को सुना गया। वकील अनावेदकगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की 0.3852 है0 भूमि का बयनामा दिनांक 28.04.2022 को अनावेदक संख्या 1 के हक में पंजीबद्ध करवाया गया है। बेचाननामा के रोज से ही अनावेदक संख्या 1 का कब्जा काश्त है इसलिये आवेदिका ने कानून की गलत व्याख्या के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, जिसे खारिज फरमाने का निवेदन किया है। बहस के समर्थन में नजीर ''राम रतन बनाम चन्द्रप्रकाश एवं अन्य दिनांक 16.05.2012'' पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। हमने प्रार्थना पत्र आवेदक व जबाव प्रार्थना पत्र अनावेदक गण व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत नजीर का अवलोकन करते हुए बहस वकील अनावेदकगण पर बगौर मनन किया गया। प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है जिसके अनुसार हकसफा के अधिकार कृषि भूमि के सह–खातेदार काश्तकार द्वारा किये गये विक्रय पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। कृषि भूमि के किसी सह खातेदार को उसकी भूमि के उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिंदु भी आवेदक के पक्ष में नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। 19.07.22 उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)	